परन्तु क्या यह उचित है कि सत्र के पहले दिन ही एक सदस्य को इतना दण्ड दिया जाये। सभा जो कुछ करना चाहे कर सकती है। नियमों को निलम्बित करके एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकती है। यह किया जा सकता है तथा ऐसा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि उसी बात को पुनः दोहराया जा रहा है। क्या मैंने बार-बार यह नहीं कहा है कि मैं आज कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता? क्या माननीय सदस्य ने इसका कोई प्रत्युत्तर दिया?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह तो सभी ने स्वीकार कर लिया है कि इस मामले में दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिये। हमारा निवेदन यह है कि दण्ड को कम किया जाना चाहिये चाहे हमें ऐसा करने के लिये नियमों को भी निलम्बित क्यों न करना पड़े। माननीय विधि मंत्री को, जैसा कि पहले भी निवेदन किया जा चुका है, यह प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाये तथा उन्हें उस सदस्य को एक सप्ताह के लिये मुअत्तिल करने का एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने दिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

Mr. Speaker : Does the Law Minister want to say something?

श्री अ० कु० सेन : यदि आप इजाजत दें कि नियम को निलम्बित कर दिया जाये, तो मैं सरकार की ओर से प्रस्ताव रखने के लिये तैयार हूं कि अवधि को घटा कर एक सप्ताह कर दिया जाये। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सन्देह है कि क्या इस अवस्था में नियम को निलम्बित किया जा सकता है, जब कोई प्रस्ताव किसी नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो और वह सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा जाने वाला हो। यदि माननीय मंत्री ऐसा करना चाहते है तो वह अपने पहले प्रस्ताव को वापिस ले सकते है तथा एक दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमन्, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये भावों को अच्छी तरह समझता हूं। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि सभा में कार्यवाही का संचालन इस तरीके से नहीं होने दिया जाता जो कि सभा की गरिमा के अनुरूप हो। निरन्तर गड़बड़ पैदा की जाती है। श्रीमान् जी, जब आप भी खड़े होते हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। जब कभी कोई मंत्री बोल रहा होता है अथवा उत्तर दे रहा होता है तो निरन्तर अन्तर्बाधा डाली जाती है। सभा में कुछ शिष्टता से कार्य होना चाहिये और यदि हम शिष्टता से कार्य नहीं करेंगे तो, मुझे यह खेद से कहना पड़ता है, हम न केवल भारत में परन्तु बाहर भी एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे होंगे जो नितान्त हमारे विरुद्ध होगी। अतः मैं आप द्वारा सदस्यों से निवेदन करता हूं कि हमें कुछ नियमों तथा विनियमों का पालन करना चाहिये।

जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि यह पहला अवसर नहीं जब गागड़ी जी ने इस प्रकार का व्यवहार किया हैं, परन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नियमों को

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

इस मामले में निलम्बित करने तथा विधि मंत्री की एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत दे दें। मुझे पूर्ण आशा है कि सारी सभा इससे सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा पहले इस प्रस्ताव को वापिस लेने सम्बन्धी प्रस्ताव से सहमत है।

माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः पहले प्रस्ताव को वापिस लिया जाता है।

श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री बागड़ी को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री बागड़ी को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में —174 : विपक्ष में—15

Ayes—174 : Noes--15

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Shri Bagri has put before the house the feelings of the Nation and he has been suspended, I, therefore walk out of the House.

[इस समय श्री किशन पटनायक तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये]

[*Shri Kishen Pattnayak and some other Members then left the House*]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

अब हम प्रधान मंत्री का भाषण सुनेंगे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : सभा को याद होगा कि पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रन में किये गये आक्रमण के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच सैनिक मुठभेड़ होने का गम्भीर खतरा था, जो जैसा कि प्रतीत होता था, कच्छ-सिन्ध सीमा तक ही सीमित नहीं रह सकता था। मैंने तब यह स्पष्ट कर दिया था कि हम शान्ति चाहते हैं, परन्तु उसी समय हम अपने देश की रक्षा भी करना चाहते हैं।

पाकिस्तान ने शान्ति को भंग करने तथा दोनों देशों को सैनिक मुठभेड़ में फंसाने का हर प्रयत्न किया। सीमा के उस ओर जमा हुई पाकिस्तानी सेना द्वारा पैदा किये गये संकट का मुकाबला

करने के लिये हमने सेना को वहां भेजने के साथ साथ जो अन्य कार्यवाही की, उससे पाकिस्तान ने महसूस किया कि वह इस आक्रमण से कोई लाभ नहीं उठा सकता ।

काश्मीर में वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर युद्धविराम रेखा के उस पार से छापामार, जो कि असैनिक वेश में हैं परन्तु पूरी तरह से अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, भारी संख्या में घुस आये हैं। वे घुसपैठिये वहां पर विनाश तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं। इन घुसपैठियों का पता लगाया जा रहा है और उनसे दृढ़ता तथा प्रभावपूर्ण तरीके से पेश आया जा रहा हैं। मारे गये, घायल हुए तथा पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक है। हमारी सुरक्षा सेनायें तथा पुलिस बड़ी वीरता से इस कार्य में लगी हुई हैं।

यह दोनों स्थितियां जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, भिन्न भिन्न समय पर पैदा हुई हैं और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यमान परिस्थितियों में जो कार्यवाही की गई है वह सब से अच्छी है। गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा करार पर पिछले सत्र में सरकार द्वारा अपनाये गये उस रवैये के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिये, जिसका इस सभा में पहले कई बार उल्लेख किया गया हैं ।

जैसा कि सभा जानती है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हेरोल्ड विल्सन ने 28 अप्रैल को कच्छ-सिन्ध सीमा पर उत्पन्न हुई स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए मुझे तथा राष्ट्रपति अयूबखां को यह लिखा था कि युद्ध बन्द करके उस स्थिति को पुनःस्थापित किया जाये जैसा कि 1 जनवरी, 1965 को थी, तथा उसके पश्चात् दोनों देश आपस में बातचीत करें। यह प्रस्ताव मूल रूप से हमारे रवैये के अनुरूप थे, इसलिये मैंने इनसे सहमति प्रकट करते हुए श्री विल्सन को उत्तर दिया। इसके पश्चात् काफी ब्यौरेवार बातचीत होती रही और अन्त में 30 जून, 1965 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये ।

इस करार की मुख्य बातें यह हैं दोनों ओर युद्ध विराम के पश्चात् सेना को पीछे हटाना और उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जैसी कि 1 जनवरी, 1965 को थी। जब यह सब हो जाये तो भारत तथा पाकिस्तान के मन्त्रियों के बीच बैठक हो और यदि उस बैठक में सीमा विवाद का कोई हल न निकल सके तो तब तीन व्यक्तियों का एक निर्पक्षीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये जो इस मामले पर अपने विचार प्रकट करे। यह सब कदम उठाने के लिये करार में एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है। युद्ध विराम के एक सप्ताह में सेनाओं को पीछे हटाने का कार्य पूरा करना है। यथा पूर्व-स्थिति को युद्ध विराम की तारीख से एक महीने में पुनः स्थापित करना है। मन्त्रियों की बैठक में चर्चा 2 महीने के भीतर तथा न्यायाधिकरण को युद्ध विराम के चार महीने के अन्दर स्थापित करना है।

वह करार 1959 तथा 1960 के भारत-पाकिस्तान सीमा करारों के अनुरूप है जो सभा के समक्ष क्रमशः 16 नवम्बर, 1959 तथा 9 फरवरी, 1960 को रखे गये थे।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र में दिये गये वक्तव्य में मैंने कहा था कि हम बात-चीत करने के लिये सहमत हो जायेंगे यदि पाकिस्तान हमारे राज्य क्षेत्र को खाली कर देगा तथा यथा पूर्व स्थिति को पुनः स्थापित कर देगा। मैंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को कंजरकोट खाली करना होगा। यह सब कुछ पूरा किया जा चुका है। कंजरकोट, बियार-बेट तथा अन्य स्थानों पर, जिन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, अब पाकिस्तानी सेना नहीं है। पहली जनवरी, 1965 की स्थिति को पुनः लाने के सम्बन्ध में ब्यौरा तै करने के लिये दोनों सरकारों के अधिकारिग्गें के बीच बैठक हुई है।

अब मैं यथापूर्व स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सामान्य रूप से इसका अर्थ यह है कि उस यथापूर्व स्थिति को लाया जाना जो कि एक विशेष समय थी । ऐसा करके हमने कोई नया सिद्धान्त नहीं बनाया है ।

यह प्रश्न कि 1 जनवरी, 1965 को इन विभिन्न मामलों में वास्तव में क्या स्थिति थी, एक तथ्य का है और न कि किन्हीं प्रभुसत्ता के अधिकारों का । पाकिस्तान से आक्रमण को खाली कराने के लिये उस स्थिति को लाया जाना अनिवार्य समझा गया था । यह अन्तर्कालीन अवधि, जिसमें सीमा को सीमांकित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, बहुत ही छोटी है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीमा का सीमांकन सम्बद्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा और इसका वास्तविक अन्तर्कालीन स्थिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा ।

गश्त लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का यह दावा कि 1 जनवरी, 1965 को वे कच्छ के रन के बड़े क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे, बिल्कुल आधारहीन है । अलबत्ता जब वे डिंग और सुराई के जो दोनों पाकिस्तान में है, बीच जो छोटी-सी पट्टी है तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल निकट है, पर अवश्य गश्त लगाते रहे हैं, परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पट्टी का प्रयोग करने से पाकिस्तान का इस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो जाता ।

मैं अपना कथन समाप्त करने से पूर्व कश्मीर के बारे में कुछ शब्द और कहना चाहता हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, कि सशस्त्र हमलावरों ने नागरिकों के छद्मवेष में धोखेबाजी से युद्ध विराम रेखा पार की है । प्राप्त सूचना के अनुसार तथा जैसा कि अभी प्रतिरक्षा मन्त्री ने बताया, इन लोगों को पाकिस्तान की सशस्त्र सेना तथा उसके अफसरों ने तोड़ फोड़ तथा विध्वंसात्मक कामों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया हुआ था। बन्दी बनाये गये लोगों के बयानों से जाहिर होता है कि वर्तमान सैनिक कार्यवाहियों के बारे में योजना बनाई गई है और पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुमोदन से उन्हें संचालित किया जा रहा है ।

कश्मीर में इस समय स्थिति पूर्णतः नियन्त्रण में है । आक्रमणकारियों को स्थानीय जनता की मदद से भी खोज कर पकड़ा जा रहा है । सरकार तथा कश्मीर की जनता इस चुनौती का सामना करने के लिए तयार है, और मैं जनता के साहस तथा जी० एम० सादिक साहिब के सुयोग्य नेतृत्व में जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा प्रदर्शित शौर्य तथा दढ़-संकल्प के लिए उन्हें बधाई देता हूं ।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसने कच्छ अथवा कश्मीर के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति का अपनी परिस्थितियों के अधीन यथासम्भव हर प्रकार मुकाबला किया है । सरकार भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी---किन्तु इस सभा सें प्राप्त होने वाले जोरदार समर्थन से उसके हाथ काफी मजबूत हो जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रधान मंत्री द्वारा गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा के सम्बन्ध में जून, 1965 के भारत-पाकिस्तान करार के बारे में 16 अगस्त, 1965 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

इस सम्बन्ध में कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।